Introduction of the Bharatiya Sakshya (Second) Bill, 2023

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री **(**श्री अमित शाह**):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों का समेकन करने वाले विधेयक को पुर**:**स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

?कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के सामान्य नियमों और सिद्धांतों का समेकन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री अमित शाह**:** अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

_____

माननीय अध्यक्ष**:** मंत्री जी, क्या आप अधीर रंजन जी को क्लियर करना चाहते हैं?

श्री अमित शाह **:** अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता ने जो सवाल उठाए हैं, इन तीनों विधेयकों को मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया था और फिर उसको गृह विभाग के मामले की स्टैंडिंग कमेटी को विचारार्थ भेजा था। समिति ने इसमें ढेर सारे सुझाव करके विधेयक को वापस भेजा था। समिति ने जो सुझाव दिए थे, उनमें से बहुत सारे सुझाव सरकार ने स्वीकार किए हैं। इतने सारे ऑफिशियल अमेंडमेंट्स लाने की जगह मैंने पुराना विधेयक को वापस लेकर नए विधेयक को पुर**:**स्थापित किया है। इस हेतु पुराना विधेयक वापस लेकर नया विधेयक पुर**:**स्थापित किया है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, a new Bill is coming. The present Bill itself runs into a large volume. It is very difficult to go through the Bill and propose notice of amendments within a short time. So, sufficient time may be given to the Members.

माननीय अध्यक्ष **:** हम आपको इस पर बोलने के लिए पर्याप्त समय और मौका देंगे।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** इस पर बीएससी में डिटेल में चर्चा होगी। अधीर रंजन जी, उस समय आप जितना चाहें बोल सकते हैं। हम सभी को बोलने का मौका देंगे।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** हम आपको बोलने के लिए पूरा समय देंगे।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** डिबेट के लिए 12 घंटे रखे गए हैं।

श्री गौरव गोगोई **(**कलियाबोर**):** अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा शुरू करने से पहले समय दीजिए।?(व्यवधान)

श्री अमित शाह **:** महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज चर्चा नहीं हो रही है। इस पर चर्चा परसों होगी। आप आराम से स्टडी करिए। जो बदलाव हुए हैं**,** वे ज्यादातर ग्रामैटिकल एरर्स में बदलाव हुए हैं, फुल स्टॉप और कॉमा के बदलाव हैं। कुछ तीन-चार धाराओं में बदलाव हुआ है। मूल विधेयक जो था, वही है। फिर भी, आपको 48 घंटे अध्ययन के लिए जरूर मिलेंगे, इसीलिए मैंने आज यह पुर:स्थापित किया है। इस पर कल चर्चा नहीं है। हम इस पर परसों चर्चा करेंगे और परसों जवाब भी नहीं होगा। इस पर मतदान इसके बाद वाले दिन होगा। इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय सभी माननीय सदस्यों को मिलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण लैजिस्लेशन है। हम भी इसे हड़बड़ी में पारित नहीं करना चाहते हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी **(**बहरामपुर**):** मंत्री जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इतने सारे संशोधन स्टैंडिंग कमेटी में लाए थे, जिनके कारण आपको यह लगा कि ये सारे बिल्स विदड्रा करके नए सिरे से पेश होने चाहिए। इसका मतलब है कि बिल का जो दायरा है और इसमें जो समस्याएं हैं, जो-जो बिन्दु इसमें शामिल होना चाहिए, इसमें बहुत सारे तर्क हैं।

सर**,** इसलिए इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए।

HON. SPEAKER: No.

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह **:** मान्यवर, इसका सवाल ही नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी ने एट लेंथ इस पर चर्चा की है। मैंने कहा कि इसमें ज्यादातर सुझाव और बदलाव, वे ग्रामैटिकल और भाषा के सुधार हैं। पांच धाराओं में ही बदलाव स्वीकार किए गए हैं, बाकी मूल बिल वही है। फिर भी, इस पर माननीय स्पीकर साहब लंबी चर्चा, जो करने के लिए कहें, मैं तैयार हूं। उस वक्त भी आपके कोई बदलाव आते हैं, तो सरकार निश्चित रूप से ठीक लगेगा तो ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आएगी। आप जरा भी चिंता न करिए ।

15.53 hrs